



राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर

(Phone: 0141-2227481, FAX: 2227602 Toll Free HelpLine- 5100/9928900900)

E-mail: rsjsajp@gmail.com, rj-sjsa@nic.in, Website: www.rjsa.rajasthan.gov.in

क्रमांक: एफ 9(291)/रालसा/स्टोर/2025-26/3213

दिनांक: 19.5.2025

कोटेशन के लिए अनुरोध- 03

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, विधिक सेवा सदन, विधिक सेवा मार्ग राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर के अधिकारीगण के नव निर्मित चैम्बर्स हेतु क्रॉकरी सामग्री जैसे कपसैट, ग्लास, ग्लास कोस्टर, बिग प्लेट, बाउल, स्पून, इलेक्ट्रीक केटल, वाटर कैम्पर, ट्रे, पेपर नेपकिन होल्डर, कॉफी मग इत्यादि क्रय किए जाने हेतु इस क्षेत्र में कार्यरत फर्म/दुकानदार/डीलर्स से निम्नानुसार कोटेशन बंद लिफाफे में आमंत्रित की जाती है:-

क्र.सं.	सामग्री का विवरण	अनुमानित मात्रा	अनुमानित लागत
1	Cupset - Bharat/Clay Craft/Borosil/Etc.	8 सेट	60,000 / -
2	Glass - Bharat/Clay Craft/Borosil/Etc.	8 सेट	
3	Glass Coaster - Bharat/Clay Craft/Borosil/Etc.	8 सेट	
4	Quarter Plats- Bharat/Clay Craft/Borosil/Etc.	8 सेट	
5	Big Plats- Bharat/Clay Craft/Borosil/Etc.	8 सेट	
6	Bowls- Bharat/Clay Craft/Borosil/Etc.	8 सेट	
7	Spoons- Cello/FnS/Etc.	8 सेट	
8	Electric Kettle- Cello/Milton/Treo/Etc.	5 नग	
9	Water Camper (Plastic/Steel)10 ltr- Cello/Milton/Treo/Etc.	8 नग	
10	Tray Big- Cello/Bharat/Clay Craft/Borosil/Etc.	8 नग	
11	Paper Napkin Holder- Cello/Milton/Treo/Etc.	2 नग	
12	Coffee Mug- Cello/Bharat/Clay Craft/Borosil/Etc.	2 सेट	

कोटेशन दिनांक 23.05.2025 को प्रातः 11:00 बजे तक स्वीकार की जाएंगी, इसके पश्चात् प्राप्त कोटेशनों पर विचार नहीं किया जावेगा। निर्धारित समय तक प्राप्त कोटेशनों को उसी तिथि को दोपहर 12:00 बजे अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय चैम्बर में विभागीय उपापन समिति एवं उपस्थित कोटेशनदाताओं के समक्ष खोली जाएंगी।

कोटेशन की शर्तें:-

- कोटेशनदाताओं को इन शर्तों को सवाधानीपूर्वक पढ़ना चाहिए तथा अपनी कोटेशन भेजते समय इनका पूर्णरूपेण ध्यान रखते हुए प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करें।
- कोटेशन बंद लिफाफे में भेजी जानी चाहिए।
- राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के अलावा अन्य कोई भी शर्तें स्वीकार नहीं होंगी।
- सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर को बिना कारण बताये कोटेशन के लिए अनुरोध किसी भी स्तर पर निरस्त करने का अधिकार होगा।
- कोटेशन की दरें शब्दों एवं अंकों, दोनों में बिना कांट-छांट स्पष्ट रूप में अंकित होनी चाहिए। शब्दों एवं अंकों में राशि में अंतर होने पर शब्दों में अंकित राशि सही मानी जावेगी।



राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर
(Phone: 0141-2227481, FAX: 2227602 Toll Free HelpLine- 5100/9928900900)
E-mail: rsjsajp@gmail.com, rj-sjsa@nic.in, Website: www.rjsa.rajasthan.gov.in

06. कोटेशन में प्रेषित दरों के अलावा अन्य किसी भी प्रकार का टैक्स देय हो तो कोटेशन में अलग से अंकित करें।
07. कोटेशन के साथ फर्म का जी.एस.टी पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
08. आयकर व जी.एस.टी. यदि लागू होगा तो नियमानुसार बिल में से कटौती की जावेगी।
09. कोटेशन में अंकित आईटम्स के सैम्पल Approved करवाना होगा।
10. आपूर्तिकर्ता को अप्रुव्ड आइर्टमस राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, विधिक सेवा सदन, विधिक सेवा मार्ग, राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर में कार्यादेश जारी होने के 5 दिवस में आदेशित सागरी सप्लाई करनी होगी।
11. सामग्री उच्च क्वालिटी की एवं Specification के अनुसार ही होनी चाहिए।
12. अन्य किसी भी प्रकार का लोडिंग/अनलोडिंग/डिलीवरी चार्ज विभाग द्वारा देय नहीं होगा।
13. सप्लाई संतोषप्रद होने के उपरान्त ही भुगतान देय होगा।
14. किसी भी प्रकार के नुकसान के लिए राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर जिम्मेदार नहीं होगा।
15. कोटेशन में अंकित विभिन्न आईटम्स हेतु एक अथवा एक से अधिक फर्मों को भी कार्यादेश जारी किया जा सकता है।
16. उक्त शर्तों के अतिरिक्त RTPP नियम 2013 की शर्तें भी लागू होगी।

निदेशक

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
जयपुर।

क्रमांक: एफ 9(291)/रालसा/स्टोर/2025-26/ 3214-17

दिनांक: 19.5.2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।
2. नोडल अधिकारी, विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
3. संबंधित/रक्षित पत्रावली
4. मैसर्स.....।

उप सचिव-प्रथम

(स्टोर प्रभारी)

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
जयपुर।